न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी बाप, फलोदी

पीठासीन अधिकारी :– सुखाराम पिण्डेल (आर.ए.एस.)

राजस्व प्रकरण संख्या :– 39/2020 **जी.सी.एम.एस. नम्बर :– 2020/00148**

दायर दिनांक :– 04.03.2020 **निर्णय दिनांक :– 09.10.2024**

1 गोरधनसिंह पुत्र नारायणसिंह जाति राजपूत निवासी बारू तहसील बाप जिला फलोदी
2 हजारीसिंह पुत्र नारायणसिंह जाति राजपूत निवासी बारू तहसील बाप जिला फलोदी
वादी संख्या 2 नाबालिग जरिये कुदरती वली माता मानकंवर पत्नी नारायणसिंह

वादीगण.....

बनाम

1 नारायणसिंह पुत्र उदयसिंह जाति राजपूत निवासी बारू तहसील बाप जिला फलोदी

2 शाखा प्रबन्धक एस.बी.आई बैंक शाखा फलोदी तहसील फलोदी जिला फलोदी

3 तहसीलदार बाप तहसील बाप जिला फलोदी

प्रतिवादीगण.....

राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955

उपस्थित :–1. श्री राणीदानसिंह अधिवक्ता वादीगण
2 श्री करणीसिंह राठौड़ अधिवक्ता
प्रतिवादी संख्या 1
3 पैरोकार सरकार तहसीलदार बाप

–:: निर्णय ::–

वादीगण ने एक राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का इस आशय से पेश किया है कि ग्राम दुर्जनी तहसील बाप में स्थित खसरा नम्बर 212 रकबा 38.19 बीघा, ग्राम सुमराणी मंगलियों की बस्ती के खसरा नम्बर 58 रकबा 55.14 बीघा कुल रकबा 94.13 बीघा भूमि में 1/3 हिस्सा रकबा 31.11 बीघा एवं खसरा नम्बर 13 रकबा 3.05 बीघा, खसरा नम्बर 15 रकबा 2.04 बीघा, खसरा नम्बर 17 रकबा 3.14 बीघा, खसरा नम्बर 180 रकबा 9.11 बीघा, खसरा नम्बर 68 रकबा 58.08 बीघा भूमि सम्पूर्ण कुल रकबा 77.02 बीघा वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 1 की सुंयक्त खातेदारी अधिकारों एवं कब्जा काश्त की पैतृक पीढियों से पुश्तैनी स्थित है। वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 1 हमीरसिंह के वारिसान है। उक्त भूमि वक्त बन्दोबस्त वादीगण के दादा एवं प्रतिवादी संख्या 1 के पिता उदयसिंह पुत्र हमीरसिंह के नाम दर्ज की गई थी। खसरा नम्बर 13 रकबा 3.05 बीघा, खसरा नम्बर 15 रकबा 2.04 बीघा, खसरा नम्बर 17 रकबा 3.14 बीघा, खसरा नम्बर 180 रकबा 9.11 बीघा, खसरा नम्बर 68 रकबा 58.08 बीघा कुल रकबा 77.02 भूमि प्रतिवादी संख्या 1 को नामान्तरकरण संख्या 299 ग्राम दुर्जनी जरिये डिक्री फैसला मुकदमा नम्बर 123/84 सहायक कलक्टर फलोदी के जरिये वादीगण के पिता प्रतिवादी संख्या 1 के नाम दर्ज की गई। खसरा नम्बर 212 रकबा 38.14 बीघा, खसरा नम्बर 58 रकबा 55.14 बीघा कुल

सहायक कलेक्टर बाप जिला फलोदी (राज.)

Signature Not Verified
Digitally signed by Sukha Ram Pindel
Date: 2024.11.06 16:16:25 IST
Reason: SelfAttested

09-10-24
सहायक कलेक्टर
बाप (फलोदी)

रकबा 94.13 बीघा में 1/3 हिस्सा उदयसिंह पुत्र हमीरसिंह फौत होने पर जरिये विरासत नामान्तरकरण संख्या 534 ग्राम दुर्जनी प्रतिवादी संख्या 1 के नाम राजस्व रेकर्ड में दर्ज की गई। उक्त वादग्रस्त भूमि पुश्तैनी पीढियोकं से पैतृक है जो वादीगण के दादा उदयसिंह पुत्र हमीरसिंह के नाम वक्त बन्दोबस्त दर्ज की गई हाने से हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम के तहत वादीगण को उक्त भूमि में जन्म से ही हिस्सा प्राप्त है वादीगण को वादग्रस्त भूमि में अपना 2/3 हिससा प्राप्त है जिसकी घोषणा करवाने के वादीगण अधिकारी है। वादीगण का 2/3 हिस्सा एवं प्रतिवादी संख्या 1 का 1/3 हिस्सा पर कब्जा काश्त चला आ रहा है जिसकी खातेदारी अधिकारों की घोषणा का यह दावा पेश है।

उपर्युक्त तथ्यों के आधार पर वाद प्रस्तुत होने पर सिगेदार की रिपोर्ट ली गई। वाद पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर न्यायालय स्तर से समन तामिल होने से पूर्व ही प्रतिवादी संख्या 1 की और से अधिवक्ता श्री करणीसिंह ने वकालतनामा कर कथन किया कि वादीगण का वाद माफिक इस्तदुआ डिकी किया जावे। प्रतिवादीगण की और से वाद का विरोध नहीं होने से तनकीयात कायम नहीं की गई। वादी संख्या 1 के बयान पी.डब्लू–1 कलमबद्व किये जाकर शामिल मिसल किये गये।

बहस उभयपक्ष विद्वान अधिवक्ता सुनी गई। बहस में अधिवक्ता वादीगण ने कथन किया कि विवादग्रस्त भूमि ग्राम दुर्जनी के खाता संख्या 150, ग्राम सुमराणी मंगलियों की बस्ती के खाता संख्या 57, 71 में प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से राजस्व रेकर्ड में भूमि दर्ज है। वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या की आराजी भूमि ग्राम दुर्जनी के खाता संख्या 150, ग्राम सुमराणी मंगलियों की बस्ती के खाता संख्या 57, 71 की जमाबंदी के खसरा नम्बर 212 रकबा 38.19 बीघा, ग्राम सुमराणी मंगलियों की बस्ती के खसरा नम्बर 58 रकबा 55.14 बीघा कुल रकबा 94.13 बीघा भूमि में 1/3 हिस्सा रकबा 31.11 बीघा एवं खसरा नम्बर 13 रकबा 3.05 बीघा, खसरा नम्बर 15 रकबा 2.04 बीघा, खसरा नम्बर 17 रकबा 3.14 बीघा, खसरा नम्बर 180 रकबा 9.11 बीघा, खसरा नम्बर 68 रकबा 58.08 बीघा भूमि सम्पूर्ण कुल रकबा 77.02 बीघा स्थित है। उक्त आराजी भूमि हमारी जद्दी जायदाज है। बहस में यह भी कथन किया कि वादीगण के वाद का प्रतिवादीगण ने कोई विरोध नहीं किया है, इस आधार पर वादपत्र को स्वीकार किया जाये। वादपत्र में वर्णित आराजी पैतृक सम्पत्ति साबित होने से वादपत्र स्वीकार किये जाने का निवदेन किया है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Sukha Ram Pindel
Date: 2024.11.06 16:16:25 IST
Reason: SelfAttested

दस्तावेजों का गहराई से अध्ययन किया गया। बहस अधिवक्ता [illegible] किया गया। ग्राम दुर्जनी तहसील बाप में स्थित खसरा नम्बर 212 रकबा 38.19 बीघा ग्राम सुमराणी मंगलियों की बस्ती के खसरा नम्बर 58 रकबा 55.14 बीघा कुल रकबा 94.13 बीघा भूमि में 1/3 हिस्सा रकबा 31.11 बीघा एवं खसरा नम्बर 15 रकबा 2.04 बीघा, खसरा नम्बर 17 रकबा 3.14 बीघा, खसरा नम्बर 180 रकबा 9.11 बीघा, खसरा नम्बर 68 रकबा 58.08 बीघा भूमि सम्पूर्ण कुल रकबा 77.02 बीघा भूमि नामान्तरकरण संख्या 299 ग्राम दुर्जनी व

03.10.24

सहायक कलेक्टर
बाप (फलोदी)

नामान्तरकरण संख्या 534 ग्राम दुर्जनी अनुसार वादपत्र में वर्णित आराजी पैतृक सम्पति होना साबित है। पैतृक सम्पति होने से वादीगण का हक निहित है। प्रतिवादी संख्या 1 के अधिवक्ता ने घोषणा बाबत् सहमति व्यक्त की है। दस्तावेजी साक्ष्यों से वाद वादी साबित है। पक्षकरान के मध्य कोई विवाद नहीं है इसलिये प्रकरण में तनकीयात कायम किये जाने की आवश्यकता नहीं है। वाद वादीगण मुताबिक सहमति के जवाबदावा व पैतृक सम्पति के आधार पर काबिल स्वीकार होने से स्वीकृत किया जाता है।

क्रियात्मक आदेश

अतः वाद वादीगण मुताबिक सहमति के आधार पर वाद वादीगण निम्नानुसार डिक्री किया जाता है कि ग्राम दुर्जनी तहसील बाप में स्थित खसरा नम्बर 212 रकबा 38.19 बीघा, ग्राम सुमराणी मंगलियों की बस्ती के खसरा नम्बर 58 रकबा 55.14 बीघा कुल रकबा 94.13 बीघा भूमि में प्रतिवादी संख्या 1 का 1/3 हिस्सा मे सें वादीगण को 2/3 हिस्सा का, खसरा नम्बर 13 रकबा 3.05 बीघा, खसरा नम्बर 15 रकबा 2.04 बीघा, खसरा नम्बर 17 रकबा 3.14 बीघा, खसरा नम्बर 180 रकबा 9. 11 बीघा, खसरा नम्बर 68 रकबा 58.08 बीघा भूमि सम्पूर्ण कुल रकबा 77.02 बीघा भूमि में वादीगण को प्रतिवादी संख्या 1 के साथ संयुक्त रूप खातेदार घोषित किया जाता है। उक्त भूमि पूर्वानुसार रहन दर्ज रहेगी। तहसीलदार बाप माफिक आदेश राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद कर पालना करावें। पर्चा डिक्री अलग से जारी होकर पत्रावली फैसल शुमार नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 09.10.2024 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(सहायक कलेक्टर, बाप, जिला फलोदी (राज.) — stamp)

09.10.24

(सुखाराम पिण्डेल आर.ए.एस.)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
बाप (फलोदी)

सहायक कलेक्टर (फलोदी)

Signature Not Verified

Digitally signed by Sukha Ram Pindel
Date: 2024.11.06 16:16:25 IST
Reason: SelfAttested

डिगरी बमुकदमे इब्तदाई

(आदेश 21 नियम 6, 7 जाब्ता दीवानी)

अज अदालत सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी मुकाम बाप

बइजलास पीठासीन अधिकारी सुखाराम पिण्डेल (आर.ए.एस.)

1. गोरधनसिंह पुत्र नारायणसिंह जाति राजपूत निवासी बारू तहसील बाप जिला फलोदी
2. हजारीसिंह पुत्र नारायणसिंह जाति राजपूत निवासी बारू तहसील बाप जिला फलोदी वादी संख्या 2 नाबालिग जरिये कुदरती वली माता मानकंवर पत्नी नारायणसिंह

वादीगण.....

बनाम

01. नारायणसिंह पुत्र उदयसिंह जाति राजपूत निवासी बारू तहसील बाप जिला फलोदी
02. शाखा प्रबन्धक एस.बी.आई बैंक शाखा फलोदी तहसील फलोदी जिला फलोदी
03. तहसीलदार बाप तहसील बाप जिला फलोदी

प्रतिवादीगण.....

राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

मुकदमा संख्या :– 39/2020

यह मुकदमा आज वास्ते इन फिसाल कतई रूबरू मेरे सुखाराम पिण्डेल पीठासीन अधिकारी व हाजिर राणीदानसिंह मिनजानिब मुदई व करणीसिंह राठौड़ प्रतिवादी संख्या 1 मिनजानिब मुदायलहा पेश होकर हुकम दिया जाता है कि व डिगरी दी जाती है कि ग्राम दुर्जनी तहसील बाप में स्थित खसरा नम्बर 212 रकबा 38.19 बीघा, ग्राम सुमराणी मंगलियों की बस्ती के खसरा नम्बर 58 रकबा 55.14 बीघा कुल रकबा 94.13 बीघा भूमि में प्रतिवादी संख्या 1 का 1/3 हिस्सा मे से वादीगण को 2/3 हिस्सा का खातेदार घोषित किया जाता है एवं खसरा नम्बर 13 रकबा 3.05 बीघा, खसरा नम्बर 15 रकबा 2.04 बीघा, खसरा नम्बर 17 रकबा 3.14 बीघा, खसरा नम्बर 180 रकबा 9.11 बीघा, खसरा नम्बर 68 रकबा 58.08 बीघा भूमि सम्पूर्ण कुल रकबा 77.02 बीघा भूमि में वादीगण को प्रतिवादी संख्या 1 के साथ संयुक्त रूप खातेदार घोषित किया जाता है। उक्त भूमि पूर्वानुसार रहन दर्ज रहेगी। तहसीलदार बाप माफिक आदेश राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद कर पालना करावें।नीचे

मुतालिक
खर्चा इस मुकदमें मय सूद व शहर
वसूल याबी तक

बाबत
फीस सदी सालाना आज की तारीख
को अदा करे।

बसब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख 09.10.2024 को जारी की गई।

09.10.24

(सुखाराम पिण्डेल आर.ए.एस.)
सहायक कलक्टर
बाप (फलोदी)

मुदई	रूपया	पैसे	मुदायला		
स्टाम्प अर्जी दावा स्टाम्प स्टाम्प वकालत नामा स्टाम्प वजह सबूत मेहनताना वकील खर्चा गवाहन फीस कमीश्नर बाबत इजराय हुक्मनामा मिजान			स्टाम्प वकालत नामा स्टाम्प अर्जी मेहनताना वकील खर्चा वाहन (?) फीस कमीश्नर बाबत इजराय हुक्मनामा मुत्फरिक मिजान		

नोट :– इस खर्चे के फार्म पर कुल खर्च यह हो फरीकन का चाहे डिगरी के जरिये दिलाया गया हो न तो दर्ज किया जावे।

Signature Not Verified
Digitally signed by Sukha Ram Pindel
Date: 2024.11.06 16:16:25 IST
Reason: SelfAttested